देवबणी री बात

कृपाविस का सामुदायिक जंगल 'देवबणी/ओरण' संरक्षण अभियान

अंक 22 जुलाई 2012

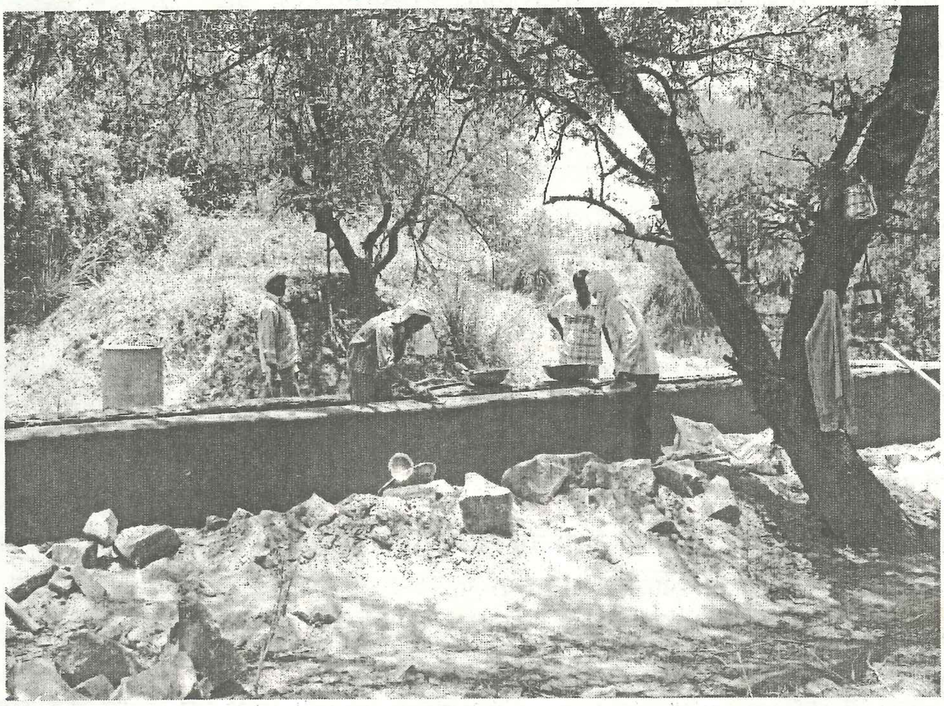

पेड़ों की महत्ता: जलवायु परिवर्तन संदर्भ

वन हमारे जीवन के हर क्षेत्र तथा इसके साथ–साथ जलवायु परिवर्तन में भी बहुत महत्वपुर्ण हैं। जलवायु परिवर्तन आजकल बहुत बड़ा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। पेड़–पौधे वायुमंडल की कार्बन डाई ऑक्साइड को सोखकर अपना भोजन बनाते हैं तथा अपनी वृद्धि कर उसको संरक्षित रखते हैं।

वर्ष 1995 से 2005 तक हमारे वनों में संग्रहित कार्बन के भण्डार का आंकलन 6245 मीट्रिक टन से बढ़कर 6622 मीट्रिक टन पहुंच गया है। जिसके फलस्वरूप वार्षिक वृद्धि 376.8 लाख टन कार्बन भार 1381.5 लाख टन कार्बन के बराबर दर्ज हुई। वनों द्वारा यह वार्षिक निष्कासन वर्ष 2000 में 9.31 प्रतिशत के कुल ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन को प्रभावहीन करने में सक्षम था।

हमारे वन, जल चक्र व जल बहाव को नियंत्रित करने एवं भूमि के नीचे स्थित जल स्त्रोत को एक्वीफर के पुनर्भरण तथा नदियों एवं धाराओं के जल बहाव को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश में वन परितंत्र बड़ी संख्या में नदियों एवं उनसे जुड़ी धाराओं के स्त्रोत हैं। वन क्षेत्र में स्थित जलाशय क्षेत्रों में अन्य भू–उपयोग वाले क्षेत्रों में उपस्थित जलाशय क्षेत्रों की तुलना में कही बेहतर जल की उपलब्धता व गुणवत्ता होती है।

भारत की लगभग 27 प्रतिशत जनसंख्या जिसके अन्तर्गत 2750 लाख ग्रामीण शामिल हैं अपनी जीविका हेतु वनों पर निर्भर है। इसके अन्तर्गत 890 लाख आदिवासी भी आते हैं। जो देश के सबसे गरीब व सीमांत समूह हैं। गैर काष्टीय लघु वन उपज जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 5 से 15 प्रतिशत के बीच है।

वनों से बहुत सी वस्तु आधारित सेवाएं प्राप्त होती है जैसे ईंधन के लिए लकड़ी, चारा, छोटी लकड़ी, गैर काष्टीय वन उत्पाद / लघु वन उपज तथा औषधीय पौधे एवं शिल्पकारों के लिए क्षेत्र एवं बांस जो कि वनों पर निर्भर समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। वनों पर निर्भर आजीविका गंभीर रूप से प्रभावित होगी जिससे स्थानीय समुदायों की संवेदनशीलता का स्तर काफी बढ़ जाएगा।

KRAPAVIS

कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान (कृपाविस)

कृपाविस बणी, गांव–बख्तपुरा

पो० सिलीसेढ़, जिला अलवर–301001 (राज.)

ई–मेल:krapavis_oran@rediffmail.com

सम्पादन : अमनसिंह व प्रतिभा सिसोदिया

कृपाविस द्वारा ओरण–देवबणी पुनरोत्थान: समाज एवं प्रकृति पर प्रभाव

पिछले डेढ दशक में कृपाविस द्वारा अलवर व जयपुर जिलों मे 100 से अधिक ओरण–देवबणियों के कार्य किये। इन पुनरोत्थान कार्यो के सकारात्मक प्रभाव देखे गयें हैं– यहां पर भूमिगत जलस्तर बढ़ा और भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ी, मिटटी की गुणवत्ता में सुधार हुआ, वनस्पतियां बढ़ी और स्थानीय प्रजातियां जो विलुप्त हो गयी थी, उनका पुनः प्रादुर्भाव हुआ। जल संरक्षण गतिविधियों के साथ–साथ जलस्तर में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। मानसून के बाद भी पानी की आपूर्ति में निरन्तरता बनी रही, जिससे सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। इन ओरण–देवबणियों के चारों तरफ के क्षेत्र हरे–भरे हो गये, बहुत से पेड़–पौधे कड़ी गर्मी में भी अपने अस्तित्व को बनाये रखने में सक्षम हो गये है। भारी मात्रा में घासों और झाड़ियों की उपलब्धता से अधिक जानवर आराम से चराई करने में समक्ष हो गये हैं। स्थानीय पारिस्थितिकी को पुनः स्थापित एवं सुरक्षित किया गया।

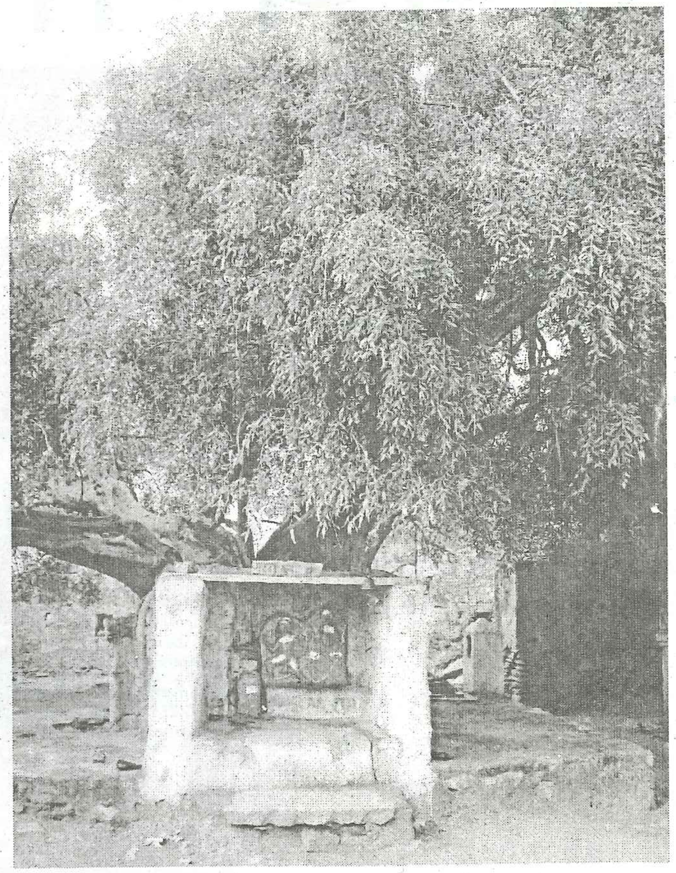

वन समिति और महिलाओं के स्वयं सहायता समुहों की स्थापना के माध्यम से स्थानीय समुदायों के लिए आय जनक अवसरों में भी मजबूती आई है। ये समूह विभिन्न मुददों जैसे–पेड़–पौधों और जानवरों के स्वास्थय, उन्नत प्रजनन और चारा प्रबन्धन पर काम करते हैं। छोटे–छोटे गैर इमारती लकड़ी वाले जंगली उत्पाद जैसे शहद, बेर (फल), डलिया बनाने के लिए घासें और बर्तन बनाने के लिए मिटटी आदि प्राप्त कर बाजार में बेचते हैं। इसके द्वारा महिलाओं को एक अन्य आय का स्त्रोत प्राप्त हो गया है।

ओरण की सम्पति अब सभी गांव वालों के लिए समान रूप से है। यहां वे अपने जानवरों के पीने और सिंचाई के लिए पानी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन साथ ही यह भी दृढ़ता से पालन करते हैं कि वे पेड़ नही काटेंगें। विभिन्न समुदायों के बीच एक मजबुत आन्तरिक सामाजिक नियन्त्रण तंत्र हैं, जो अतिक्रमण के विरूद्ध प्रभावी दण्ड निर्गत करने में सक्षम है। संसाधन उपयोगकर्ताओं और मजबूत हितभागीदारकर्ताओं के बीच में परस्पर विरोधी प्रस्ताव के लिए एक तंत्र है, जो ओरण के रख–रखाव के लिए वार्षिक अंशदान के शर्तो का सुस्पष्ट करता है।

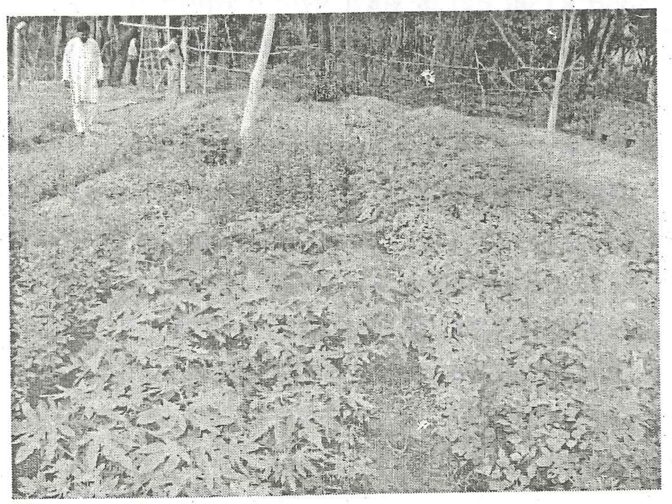

ओरण जैव विविधताअ, पशुधन और खेती के बीच एक पूरक सम्बन्ध स्थापित हुआ है, जो कि समुदायों की आजीविका एवं समुदाय की आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक व आध्यात्मिक सुरक्षा के साथ देवबणी के लाभप्रद अभ्यासों को उन्नत करने में निरन्तर लगे हुए हैं।

गांवों में अच्छे ओरण की स्थिति इस बात का प्रतीक है कि वहां पानी, लघु वन उपज, चारा तथा जड़ी–बूटियां समुदाय को पर्याप्त रूप से मिलने लगी हैं। जैव विविधता की दृष्टि से इनमें औषधीय पौधे, जड़, जड़–बूटियॉ, कंद इत्यादि के अलावा दुर्लभ प्रजातियों के वृक्ष जैसे: कालाखेर, धतुरा, गुगल, पीलू, जियापोता, ताल, चौंक, कैर, कदम, गझीड़ा आदि तथा 21 प्रकार के कन्दः मर्चीकंद, सफेदकंद,

आसकंद, आदि, झाड़िया व अन्य वनस्पतियों के संरक्षण की स्थली भी ये ओरण–देवबणी हैं। इन ओरण–देवबणियों में अनेकों वन प्राणी जैसे: हिरण, नीलगाय, सांभर, सांप, नेवला, बिच्छु, गोह, बन्दर आदि तथा अनेको प्रकार की चिड़ियाएं बढ़ी हैं। इन वन्य पाणियों का प्राकृतिक संतुलन बनाये रखने मे बड़ी अहम भूमिका है।

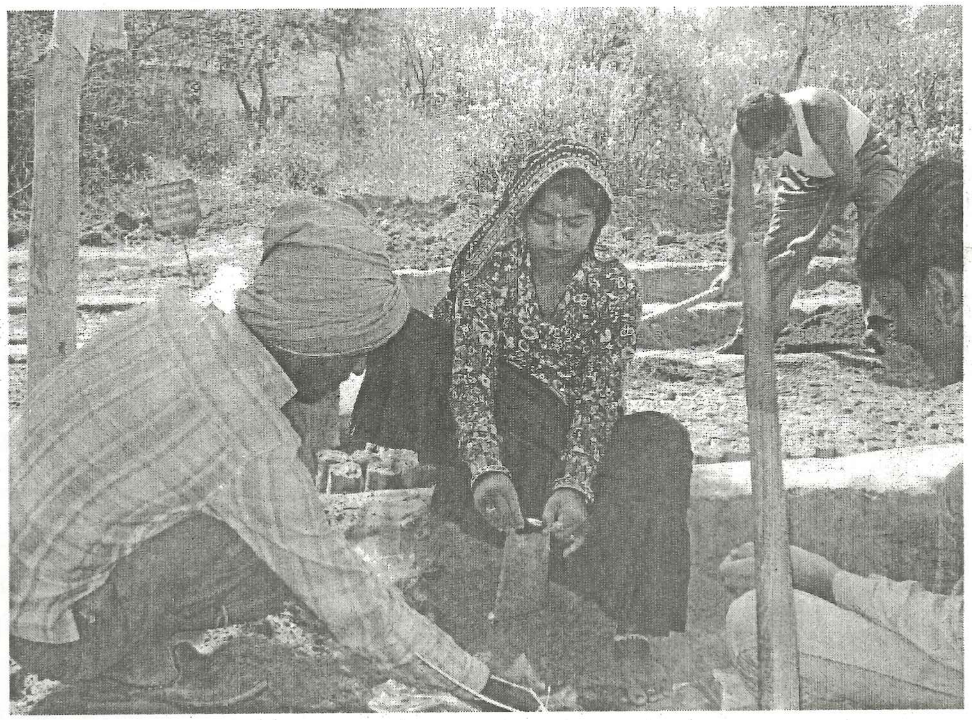

कृपाविस लम्बे समय से ओरण–देवबणियों हेतु निति परिवर्तन की पैरवी करता रहा है परिणामस्वरूप राजस्थान 'राज्य वन नीति 2010' जो राजस्थान के वन प्रबन्धन को लेकर पहली बार बनी है। उसमें ओरण व देवबणी विषय को भी महत्व दिया गया है। इस नीति दस्तावेज में लिखित उददेश्यों में से एक उददेश्य यह भी है कि वनस्पति और राज्य के वनों की दुर्लभ और विलुप्त प्रायः प्रजाति के संरक्षण और जैव विविधता के प्रबन्धन हेतु ओरण, झीलें, चारागाह आदि का विकास हो । राज्य में जिलावार ओरण–देवबणियों का सर्वे व सिमांकन हो तथा इनके विकास व संरक्षण की योजनाएं समुदायों द्वारा ही हो आदि इस निति के प्रमुख अंग है। अतः इस निति से ओरण–देवबणियों के विकास मे अपेक्षित परिणाम व प्रभाव समुदायो मे देखने को मिल रहे है।

ओरण के संरक्षण कार्य मे हमारा उदेदश्य महिलाओं के विकास एवं प्रकृति द्वारा प्रदान उसके कुछ गुणों का समुचित दिशा में उपयोग कर उन्हे सामाजिक एवं आर्थिक संबल प्रदान करना भी रहा है। ओरण–देवबणी कार्य के कियान्वयन व कार्यक्रम मे सहयोग देने के लिए हने अलग से उनके समुह ''महिला मंडल'' का गठन किया। जिसका मुख्य उददेश्य यह सुनिश्चित करना कि महिलाऐं यहां पर अपने आपको सहज व सुरक्षित महसुस कर सके और पुर्णरूप से कार्यक्रम मे सम्मलित हो सके। जागरूक एवं मुख्य महिलाओं को प्रोत्साहित कर प्रशिक्षक व मार्गदर्शक के रूप मे ओरण–देवबणी के बेहतर ढंग से संरक्षण व प्रबन्धन तथा अन्य कार्यो को कर सके। इस प्रकार आज वर्तमान मे कृपाविस के पास करीब 300 महिलाओं का समुह है।

ओरणों का संरक्षण महिलाओं के लिए कई तरह से लाभदायक है क्योकि इनके द्वारा उनके पशुओं को चरनें के लिए चारागाह व चारा प्राप्त करने का स्थान, ईधंन, बेर, जड़े, जड़ी–बुटी ओर पानी मिलता है। कई प्रकार की वन्य प्रजातियां ओरण मे पाई जाती है तथा महिलाऐ इनका उपयोग अनेक प्रकार से अपने जीवनयापन के लिए करती है तथा यहां पर कई प्रकार के गैर–इमारती जंगल उत्पाद जैसे कैर का अचार बनाना, बेर (फल) को एकत्र कर बेचना, कुररी के दानो को एकत्र करना, शहद एकत्र करना, पान्नी घास (झुंडा) हस्तकला का कार्य, मिटटी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी, टोकरी बनाने के लिए चापुन आदि सभी वस्तुऐ इन्हें ओरण मे मिल जाती हैं। कुछ पौधों की प्रजातियां जिन्हें ओरणों मे फिर से संरक्षित व पुर्णजिवित किया गया है उनका दवाईयों मे काफी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि ''अडुस्टा'', जिसका प्रयोग खांसी की दवा के रूप में किया जा सकता है। कुछ पौधों की प्रजातियां विशेष रूप से जैसे झाड़वेर, सत्वारी, कुरी, सावा और इसके अलावा कुछ जंगली अनाज का उपयोग घर मे खाने के लिए तथा बाजार में बेचने के काम आता है। इसके द्वारा महिलाओं को एक अन्य आय का स्त्रोत प्राप्त होता है तथा साथ ही साथ ओरण के संरक्षण कार्य मे उनकी भी एहम भुमिका रहती है।

श्री कैलाश गिरी व श्री लालदासजी महाराज की देवबणी

श्री कैलाश गिरी देवबणी ग्राम भजेड़ा, तहसील रामगढ़, जिला अलवर में पड़ती है। इस देवबणी में हनुमानजी का मन्दिर बना हुआ है साथ ही साथ यहाँ पर गणेशजी, दत्तात्रीय भगवान व शिवलिंग भी स्थापित है। इस बणी में एक जोहड़ भी बना हुआ है जहाँ पर वृषा जल तथा पानी का संग्रह होता है। यह जल पशुओ को पिलाने, खेती के काम तथा मनुष्यों के रोजमर्रा के कार्यो मे उपयोग मे आता है।

देवबणी की सुरक्षा के लिए चारों तरफ पक्की दिवार बनी हुई है। इस बणी का क्षेत्रफल लगभग 138 हेक्टेयर है। इस बणी में निम्न प्रजातियों के पेड़–पौधे है जैसे धोंक, पापड़ी, पीपल, रोज, खैरी, सूरवाल, पीलू आदि पेड़–पौधे है।

इस बणी में गंगागिरी महाराज का लगते फागण में पाँचे का मेला भरता है। पहले लोग बताते है की इस इस मेलें में पहले कुश्ती का आयोजन भी होता था लेकिन झगड़ा हो जाने के कारण काफी सालों से अब कुश्ती का आयोजन नहीं होता है। मेलें मे आज भी दुकाने लगती है और यहाँपर रोजमर्रा की वस्तु आराम से मिल जाती है। मंदिर के पास में दो कमरे व तिबारा बना हुआ है। एक कोठरी में ईन्जन लगा है जिससे मंदिर व बगीचें मे पानी की पुर्ति होती है। वगीचें में एक कमरा गुफा है। उपर के मंदिर में पांच कमरे बने हुए है। यहाँ पर दयागिरी महाराज की समाधी भी है।

इस देवबणी में पशु घास चरते है व पानी पीकर इसी देवबणी आराम करते है। बणी से प्राप्त सुखी लकड़ी को जलानें के काम मे लिया जा सकता है। महात्मा द्वारा लोगों के सहयोग से बणी की सुरक्षा व संरक्षण पर जोर दिया जाता है।

श्री लालदासजी महाराज की देवबणी समीपवर्ती गांव नाकचपुर, तहसील रामगढ़, जिला अलवर में पड़ती है। इस देवबणी का नाम महान संत श्री लालदासजी के नाम से पड़ा है। लालदासजी का जन्म धोलीदूब नामक ग्राम में सावन कृष्ण पंचमी संवत पन्द्रह सौ सतानवें (1597) में अपने नाना के घर हुआ। उनके पिता का नाम चाँदमल तथा माता का नाम समदा था। कहते हैं ये गर्भ में दस मास रहे। उनकी जाति मेव थी। ये अलवर किले के पीछे जंगलो से लकड़ी काट कर जीवन निर्वाह करते थे। इस देवबणी का क्षेत्रफल 12–13 हैक्टेयर है।

इस बणी में निम्न प्रजातियों के पेड़–पौधे है जैसे धोंक, केर, किकर, पापड़ी, जाल, हिगोंटा, नीम, रोज, पीलू आदि पेड़–पौधे है। लालदास महाराज की देवबणी पहाड़ो के उपर स्थित है। यहाँ पर लालदास महाराज का तिबारा बना हुआ है। यहाँ पर लालदास महाराज को पुणों को पुजा जाता है। लोगों की मान्यता है कि जब किसी व्यक्ति के गाँठ या गुमडिया हो जाती है तब लालदासजी महाराज की देवबणी की भभुत लगाने से वो ठिक हो जाता है।

लालदास जी नशा (हुक्का) के खिलाफ थे इसकी पुष्टि में उनके द्वारा एक दोहे के माध्यम से समझाया गया है–

दस जीवन, बारह मरण,
रजस्वला दिन चार।
ये तुलसी, सूतक सदा,
जाके हुक्का द्वार।।

अर्थात जन्म का सुतक दस दिन, मरण का बारह दिन और रजस्वला स्त्री सूतक चार दिन का होता है लेकिन जो नशा करते हैं उनके यहाँ तो सदैव ही सूतक रहता है।

सरिस्का जन आन्दोलन

सरिस्का वन मे रहने वाले व वन सीमाओं से जुडे गांवों में निवास करने वाले ग्रामीणों को वन विभाग द्वारा जबरन रूप से विस्थापित करने, वन सीमाओं से जुड़े ग्रामीणों के मौलिक अधिकारों का हनन करने, विस्थापित राशि का भुगतान सही प्रकार से ना करने तथा सिवायचक और गौचर भूमि को राज्य सरकार द्वारा बगैर नोटिस दिये वन विभाग के नाम गैरकानूनी रूप से करने के खिलाफ वन से जुडे 28 गांवों के लोगो ने आम सभा आयोजित कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तैयार किया जिसमें सर्वसम्मिति से कुछ महत्वपुर्ण बिन्दुओं पर पूर्ण रूपेण विचार किया गया और इन बिन्दुओं पर सरकार, मीडिया व प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया।

❖ अलॉटमेंट भूमि जो सन 1972 व 1968 में हुई थी उसका इन्तकाल दर्ज कर खातेदारी हकूक दिये जायें।

❖ सन् 1972 से गैर खातेदारी किसानों को खातेदारी हकूक दिये जाये, जमीन खरीद व बिक्री पर एनओसी लेने की पाबन्दी हटाई जाये।

❖ गरीब किसानों की भूमि के क्रय–विक्रय की रजिस्ट्री नही हो पाती जबकि धनाढ्य लोग धनबल से रजिस्ट्री करा लेते है इसे रोका जायें।

❖ सिवायचक भूमि जिन किसानों के कब्जे में है उनकी खातेदारी हकूक दिये जायें।

❖ चारागाह व सिवायचक भूमि को यथावत रखा जाये, वन विभाग को नही दी जाये ताकि चारा पशुओं के लिए उपलब्ध हो सके व गोवंश के लिए सुरक्षित रखी जाये।

❖ खातेदारी भूमि पर केसीसी बनाने व अन्य सभी प्रकार के ऋणों से रोक हटाई जाये।

❖ रेवेन्यू गांवों में कृषि कनेक्शनों व घरेलू कनेक्शनों पर रोक हटाई जाये।

❖ वन विभाग से गुजरने वाले रास्तों से रोक हटाई जाये।

❖ वन विभाग द्वारा जिन रेवन्यू गांवों को स्थापित किया जा रहा है उसे रद्द किया जाये।

❖ वन विभाग द्वारा जिन गाँवों में विस्थापन प्रक्रिया जारी है उनमें भेदभाव रहित मुआवजा दिया जाये तथा इसकी न्यायिक जांच में स्थानीय लोगों की कमेटी गठित की जाये।

❖ विस्थापित किये जाने वाले गाँवों में कई मूल निवासी परिवारों को सर्वे से वंचित रख गया है जबकि वे सदियों से वहां के मूल निवासी है। इसका उदाहरण कासका, डाबली व सुकोला है।

❖ वन विभाग के जानवरों द्वारा हमारी फसलों को तथा पशुओं को खाया जाता रहा है जबकि इसक एवज में आज

तक किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है।

❖ वन क्षेत्र में जिन रेवेन्यू गांवों पर मूलभूत सुविधाओं पर रोक लगाई है उन्हें हटाया जाये।

❖ अनुसुचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो को मान्यता) अधिनियम–2006 के अनुसार ही विस्थापित किया जाये।

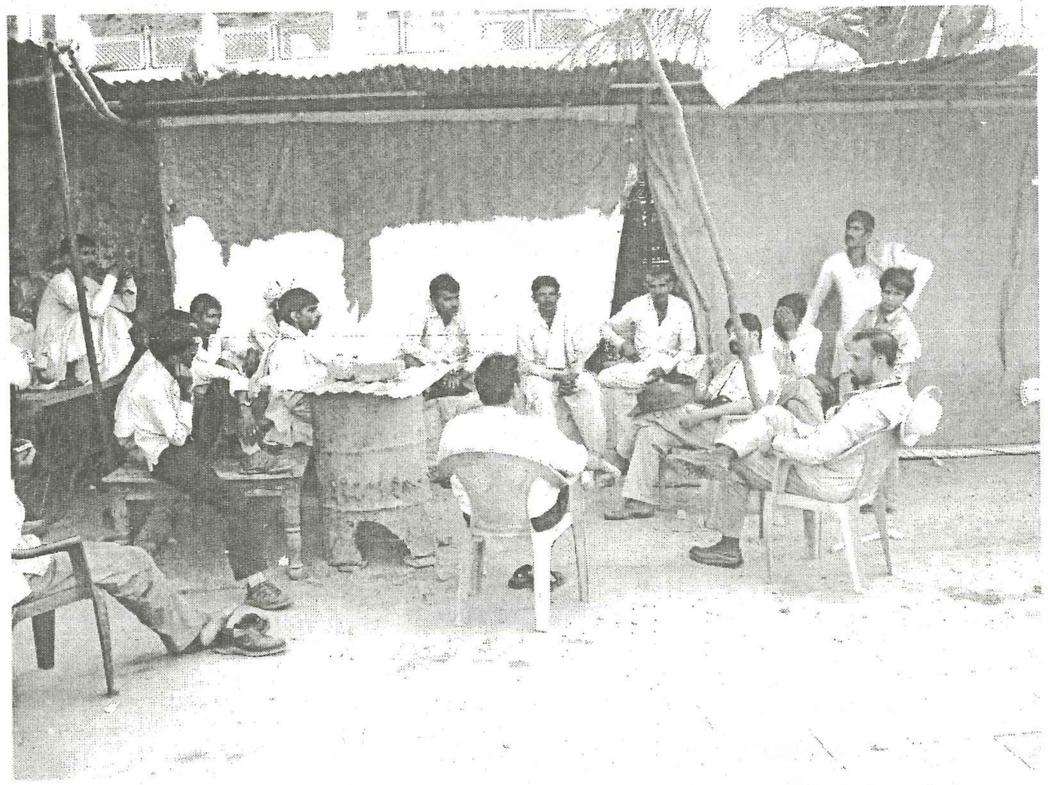

वन विभाग के नाकारात्मक व उपेक्षापुर्ण व्यवहार तथा राज्य सरकार व अन्य सरकारी विभागों का सहयोग ना मिलने के कारण ग्रामीणों/विस्थापितों ने 12 सुत्री माँगो को लेकर कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार के सामने पड़ाव डाला। किसानों के प्रतिनिधि मंडल की जिला कलेक्ट्रर से दो चरणों में हुई वार्ता हुई।

पडाव में सरिस्का के निकटवर्ती कई गांव के किसान शामिल हुए। इनमें से कुछ मुख्य माँगे किसानों ने बताई वे यह थी कि अलवर–जयपुर वाया सरिस्का मार्गव भर्तृहरी तिराहे से धन्यवाद बोर्ड (थानागाजी) तक डामरीकरण, सरिस्का के आस–पास के क्षेत्र में जमीन की खरीद फरोख्त रजिस्ट्री आदि से रोक हटाने, वन विभाग से संबधित मामले वापिस लिए जाने, किसानों के कब्जे वाली सिवाय चक भूमि के खातेदारी अधिकार 1972 और 1968 में अलॉट हुई भूमि का इंतकाल दर्ज कर मालिकाना हक आदि की मांग उठाई गई।

दुसरे चरण की वार्ता रात सवा नौ बजे तक चली। लेकिन किसानों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष पड़ाव जारी रखने का निर्णय किया।

इस अवसर पर सरकार ने उनके द्वारा प्रस्तावित कुछ मांग नियमों में प्रावधान नही होने के कारण स्वीकार किया जाना संभव नही होना बताया है। विस्थापन स्थल पर मूलभूत आवश्यक सुविधायें यथा पीने हेतु पानी की सुविधा, सामुदायिक भवन, सड़क, शिक्षा आदि सरकार द्वारा विकसित की जाऐगी। भूमि आवंटन के बारे में ग्रामीणों को समझाया कि ग्रामीणों को दी जाने वाली भूमि का दर्जा वन भूमि है, यह वन विभाग द्वारा ही आवंटित की जाएगी, रेवन्यू विभाग द्वारा नहीं। ग्रामीणों को जो बीपीएल सूची में चयन से रह गये है, वे अपना सर्वे फार्म पुनः भरकर आवेदन करे। इस पर सहानूभुति पूर्वक विचार कर उचित निर्णय लिया जाऐगा।

ग्रामीणों को समझाया गया कि उन्हें आवंटित कृषि भूमि पर उनकों स्वयं को सिंचाई हेतु अपने स्तर से बौरवेल करवाने होगे। सरकार द्वारा उन्हें विधुत कनेक्शन जारी करने में विशेष प्राथमिकता दी जाऐगी। जिला कलेक्ट्रर ने ग्रामीणों को समझाया कि नये स्थल पर कठिनाई आने पर प्रशासन द्वारा उनकी हर संभव सहायता की जाऐगी।

वृक्षारोपण व संरक्षण पर प्रशिक्षण कार्यशाला

07–08 जुलाई 2012 को कृपाविस ने देवबणी में पौधो के संरक्षण व संवर्धन तथा पौधारोपण विषय पर भूरासिद्ध स्थित कृपाविस केंद्र पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। जिसमें विभिन्न स्वंय सहायता समुहों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

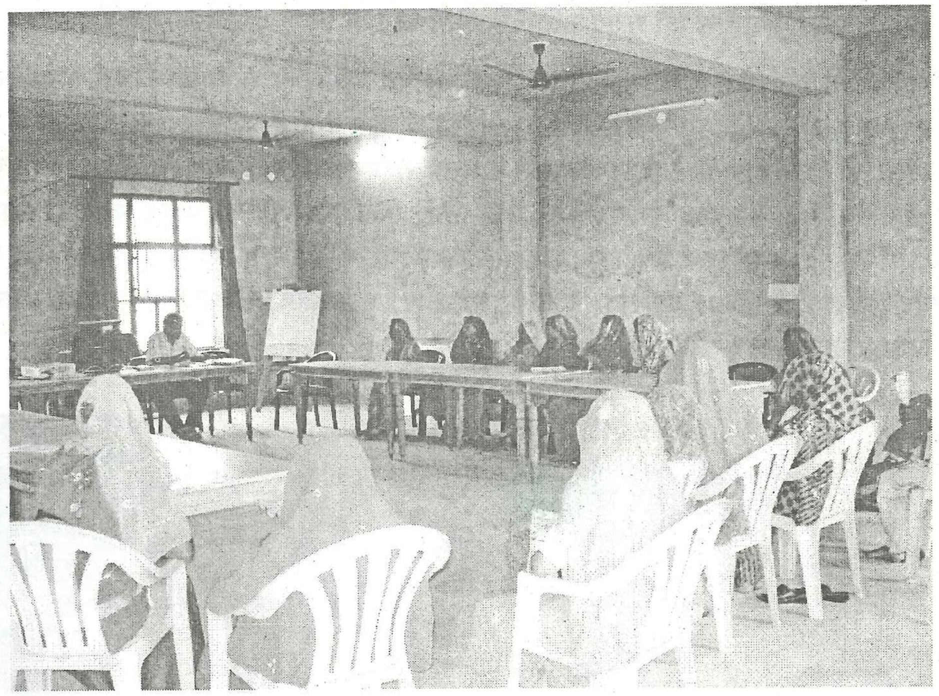

कार्यशाला का उद्देश्य कृपाविस द्वारा देवबणी में पौधारोपण पौधों के संरक्षण व संवर्धन पर महिला समुहों को स्वप्रेरीत कर अधिक से अधिक वृझारोपण व अपने चारों ओर पाए जाने वाले हरियाली वाले क्षेत्र जैसे देवबणी, वन व जंगलो के संरक्षण व संवर्धन पर जोर दिया गया। जिसमें आपसी सहयोग, अध्ययनों का आदान–प्रदान व अनुभवों का लाभ उठाकर समाज के सभी वर्गो को इस मुहिम से जोड़ना था। इसमें लगभग 40 व्यक्तियों ने भाग लिया।

प्रथम दिवस कार्यशाला में स्वंय सहायता समुह की महिलाओं व अन्य प्रतिभागियों ने पौधों के संरक्षण व संवर्धन से जुड़ी समस्याओं, उनका निराकरणव उपाय के बारे मे गहनता से विचार–विमर्श किया। जिसमें मुख्य रूप से पानी की समस्या, मेड़बंदी, कटाई, चराई व प्राकृतिक संसाधनों का अत्याधिक विदोहन पर विचार रखे गये।

कृ..विस टीम ने प्रोजेक्टर फिल्म व किलिपिंग दिखाकर इस विषय पर प्रशिक्षण दिया तथा इसके साथ–साथ स्कुलों जोहड़ो, पड़त जमीन व अपने आस पास के क्षेत्रों मे भी पौधारोपण पर जोर दिया। उन्होने कहा कि वृक्ष लगाने के साथ–साथ हमें स्कुलों के बच्चो, समुह की महिलाओं व अन्य लोगों को भी अधिक से अधिक वृक्षों की देखभाल व उनकी रक्षा के लिए प्रोत्साहित व स्वंय अपने उपर उनकी सुरक्षा का दायित्व लेना चाहिए। इस कार्य के लिए संस्था उनको आर्थिक तौर पर, तकनीकी तौर पर, तथा स्वंय के अनुभवों व अध्ययनों के अनुसार पुर्ण सहयोग प्रदान करेगी। सहायता समुह की महिलाओं से उनके कार्य व समुह की गतिविधियों के बारे मे समस्त जानकारियाँ व विवरण लिया गया तथा समुह को चलाने में आने वाली कठिनाईयों को सुलक्षाने व उनके निराकरण तथा नये समुहों के गठन पर विचार के लिए आपसी सहयोग व विचारों का आदान–प्रादान संस्था की निदेशक प्रतिभा जी के मार्गदर्शन में पुर्ण हुआ।

दुसरे दिवस कार्यशाला में कृषि विभाग के उधानिकी विषेशज्ञ धर्मेन्द कुमार भारद्वाज ने पौधों की रोपाई एवं देखभाल पर विस्तृत तकनीकी जानकारियाँ दी। उन्होने इसमें बताया कि फलदार पौधों की बढ़वार उसके लगाने के ढ़ग एवं देखभाल पर निर्भर करती है इसलिए अच्छी बढवार के लिए गडढों की तैयारी पूर्ण कर सावधानी से पौधें लगाने का कार्य करना चाहिए। इसमें उन्होंने नींबू, किन्नों, अनार, अमरुद, पपीता व अन्य कई फलदार पौधों की उन्नत किस्मों के बारे में बताया।

उन्होने प्रतिभागियों को ड्रिप सिंचाई व ग्रीन हाउस लगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया तथा सरकार द्वारा मिलने वाले अनुदान व सहायता के बारे मे बताया। प्रतिभागियों के सवालो व शंकाओ का समाधान भी इस कार्यशाला में किया गया।

22375 44 CI cidzonealwar@gmail.com

कृपाविस का वृक्षारोपण अभियान

कृषि एंव पारिस्थितिकी विकास संस्थान (कृपाविस) एक स्वैच्छिक संस्थान – जो वर्ष 1992 से ग्रामीण समुदायों को अपने प्राकृतिक संसाधनों के सुधार और विकास में लोगों की संगठित पहल को मजबूत बनाने के लिये कटिबद्ध है। प्राकृतिक संसाधनों के विकास के लिए वन सवंर्धन विशेषकर परम्परागत जंगल प्रबन्धन में कृपाविस की विशेष रूचि रही है। इसी के तहत प्रत्येक वर्ष ओरण–देवबणी व अन्य सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण हेतु नर्सरी तैयार करना तथा पौधे रोपण करना, कृपाविस की मुख्य गतिविधियों में से एक है।

इस वर्ष भी कृपाविस द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारम्भ बख्तपुरा स्थित कृपाविस प्रशिक्षण केन्द्र पर हरियाली आमावस्या के दिन किया गया। सरिस्का परिधि से जुड़े देवबणी व ओरण के विकास में रूचि रखने वाले सभी ग्रामीणों, महात्माओं, पर्यावरण प्रेमी तथा सरकारी विभागों से अनुरोध है कि आप बख्तपुरा स्थित कृपाविस नर्सरी से देवबणियों में वृक्षारोपण हेतु नि:शुल्क पौधे ले सकते है तथा वृक्षारोपण के महत्वपुर्ण कार्य मे आप सबका सहयोग अपेक्षित है। वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम हेतु ओरण–देवबणियों में विभिन्न महत्व के वृक्ष जैसे बांस, बेलपत्र, चंदशूल, देशी बबूल,शीशम, आंवला, अमरूद, पपीता, कचनार, गुलमोहर, सेमल, अमलताश, सिरस काला, सिरस सफेद, बेर, पीपल, तुलसी, निंबू आदि उपलब्ध है।

कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान (कृपाविस), बख्तपुरा, पो० सिलीसेढ झील, अलवर (राज०) द्वारा जनहित में प्रसारित।
मुद्रक: जय बाबा प्रिन्टर्स, स्टेशन रोड, अलवर। लेआउट सहायक : शिव कुमार गुप्ता व सुनील चौहान